न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2024 **दायर दिनांकः 09.01.2024**

उनवान

1. जोधराज उर्फ मधुसुदन पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या जाति बैरागी निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 19.02.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में आराजी खाता संख्या 548 का ख.नं. 716 का रकबा 0.14 हे0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा/दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम जोधराज के स्थान पर मधुसुदन एवं प्रार्थी के पिता का नाम मूलचन्द के स्थान पर मूल्या दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, सैकेण्डरी की अंकतालिका व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम जोधराज एवं प्रार्थी के पिता का सही नाम मूलचन्द दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम अटरू की आराजी खाता संख्या 548 में प्रार्थी का नाम मधुसुदन के स्थान पर जोधराज या जोधराज उर्फ मधुसुदन एवं प्रार्थी के पिता का नाम मूल्या के स्थान पर मूलचन्द या मूलचन्द उर्फ मूल्या दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम एवं प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:41:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम मधुसुदन के स्थान पर सही नाम जोधराज या जोधराज उर्फ मधुसुदन तथा प्रार्थी के पिता का नाम मूल्या के स्थान पर सही नाम मूलचन्द या मूलचन्द उर्फ मूल्या दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम अटरू की आराजी खाता संख्या 548 में प्रार्थी का नाम मधुसुदन के स्थान पर सही नाम जोधराज या जोधराज उर्फ मधुसुदन तथा प्रार्थी के पिता का नाम मूल्या के स्थान पर सही नाम मूलचन्द या मूलचन्द उर्फ मूल्या दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3894 दिनांक 26.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अटरू सम्वत 2073–76 खाता संख्या 548, राशन कार्ड जोधराज, आधार कार्ड जोधराज, माध्यमिक परीक्षा–1978 अंकतालिका व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में आराजी खाता संख्या 548 का ख.नं. 716 का रकबा 0.14 हे0 में सह खातेदार मधूसुदन के पिता का नाम मूल्या के स्थान पर मूलचन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा सहखातेदार मधूसुदन के स्थान पर जोधराज किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परि[illegible] उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 16:41:39 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में आराजी खाता संख्या 548 का ख.नं. 716 का रकबा 0.14 हे0 में सह खातेदार मधूसुदन के पिता का नाम मूल्या के स्थान पर मूलचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:41:39 IST
Reason: SelfAttested